संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल–संविदा/2020/1655 भोपाल, दिनांक 14/09/2020

प्रति,

1/ समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी , म0प्र0।
2/ समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म0प्र0।

विषय :– बंधपत्र चिकित्सकों (एम0बी0बी0एस0/पी0जी) के निरंतर कार्यरत रहने संबंधी जानकारी प्रेषित करने के संबंध में।

संदर्भ :– संचालनालय द्वारा जारी किए गए बंधपत्र चिकित्सकों के पदस्थापना/संशोधन संबंधी आदेश ।

विषयांकित प्रकरण में संचालनालय द्वारा प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0/पी0जी0 उत्तीर्ण बंधपत्र चिकित्सकों के पदस्थापना संबंधी आदेश निरंतर जारी किए जा रहे है, उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

संचालनालय के संज्ञान में आया है कि संचालनालय द्वारा पदस्थापना आदेश जारी होने के उपरांत कतिपय बंधपत्र चिकित्सकों द्वारा आवंटित पदस्थापना स्थल पर कार्यग्रहण नहीं किया जा रहा है अथवा कार्यग्रहण करने के उपरांत अनुपस्थित हो रहे हैं अथवा कुछ दिवस कार्य करने के उपरांत अनुपस्थित हो जाते हैं।

एक बंधपत्र चिकित्सक मात्र 02 अवस्थाओं में ही बंधपत्र से मुक्त हो सकता है 1. बंधपत्र राशि जमा करने पर 2. उच्च अध्ययन हेतु संचालक, चिकित्सा शिक्षा से अनापत्ति प्राप्त होने पर।

अतः यदि आपके अधीनस्थ पदस्थ बंधपत्र चिकित्सक कार्य स्थल से उपरोक्त 02 कारणों के अतिरिक्त बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हो जाते हैं, तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, संचालक, चिकित्सा शिक्षा एवं संचालनालय को उक्त चिकित्सकों के विधिक कार्यवाही किए जाने हेतु , प्रेषित की जाना सुनिश्चित करें।

संचालनालय द्वारा जारी नियुक्ति एवं संशोधन संबंधी समस्त आदेश विभागीय वेबसाईट www.health.mp.gov.in पर अपलोड किए गए हैं। अतः आपके अधीनस्थ पदस्थ किए गए बंधपत्र चिकित्सकों के संदर्भ में निम्नानुसार जानकारी तत्काल 03 दिवस की समयावधि में ई–मेल gazatted@gmail.com पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें :–

क्र	बंधपत्र चिकित्सक का नाम एवं शैक्षणिक योग्यता	संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एवं दिनांक	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	आवंटित पदस्थापना स्थल	कार्यग्रहण करने का दिनांक/ कार्यग्रहण नहीं किया गया	1. निरंतर कार्यरत है 2. अनुपस्थित हैं तो अनुपस्थिति दिनांक 3. बंधपत्र राशि जमा की गई। 4. उच्च अध्ययन हेतु चयनित होने से अनुपस्थित (कारण का क्रमांक अंकित करते हुए. तिथी अंकित करें)	चिकित्सक को क्या कार्य आवंटित किया गया है 1.ओपीडी 2. आईपीडी 3. कोविड 4आकस्मिक ड्युटी 5.राष्ट्रीय कार्यक्रम पर्यवेक्षण 6. अन्य–विवरण देवें	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9

<u>स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित</u>

14/9/2020

(सपना एम0लोवंशी)
अपर संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0

पृ.क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल–संविदा/2020/ 1656 भोपाल, दिनांक 14/09/2020

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अपर मुख्य सचिव,म0प्र0शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,म0प्र0।
2. सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.।
4. स्वास्थ्य आयुक्त,स्थानीय कार्यालय भोपाल म0प्र0।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल,म0प्र0।
6. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म0प्र0।
7. समस्त कलेक्टर,म0प्र0।
8. प्रभारी एम0आई0एस0, स्थानीय कार्यालय, भोपाल,म0प्र0।

14/9/2020

अपर संचालक(विज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म0प्र0